न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री हनुमानाराम, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या **255/2019** अन्तर्गत धारा **86 (2)** RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 नारायणसिंह पुत्र पर्वतसिंह 2 भीखसिंह पुत्र पर्वतसिंह 3 कुम्पसिंह पुत्र पर्वतसिंह 4 आसुसिंह पुत्र पर्वतसिंह 5 रेखादेवी पत्नी पर्वतसिंह 6 जेठुसिंह पुत्र नखतसिंह 7 बलवंतसिंह पुत्र नखतसिंह 8 गोरधनसिंह पुत्र नखतसिंह 9 तुलछसिंह पुत्र नखतसिंह 10 मुलीदेवी पत्नी नखतसिंह 11 पदमसिंह पुत्र गोविन्दसिंह 12 हनुमानसिंह पुत्र गोविन्दसिंह 13 कल्याणसिंह पुत्र गेमरसिंह जाति पुरोहित, निवासी पुषड तहसील शिव, जिला बाड़मेर 14 चमनसिंह पुत्र अमरसिंह 15 पुरखसिंह पुत्र अमरसिंह 16 ढेलकंवर पत्नी अमरसिंह 17 उम्मेदसिंह पुत्र भानसिंह 18 आम्बसिंह पुत्र भानसिंह 19 महेशसिंह पुत्र भानसिंह 20 भूरसिंह पुत्र भानसिंह 21 दुर्गसिंह पुत्र हीरसिंह 22 सगतसिंह पुत्र हीरसिंह के कायम मुकाम 22.1 थानसिंह पुत्र सगतसिंह 22.2 मुलसिंह पुत्र सगतसिंह 22.3 टीमोदेवी पत्नी सगतसिंह जाति पुरोहित, निवासी सीताराम की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1 भंवरसिंह पुत्र मंगलसिंह 2 हरखसिंह पुत्र मंगलसिंह 3 इन्द्रसिंह पुत्र कानसिंह 4 पीरसिंह पुत्र केशरसिंह 5 छगनाकंवर पत्नी तोगसिंह (क्रेता) जाति पुरोहित, निवासी सीताराम की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 6 तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता प्रार्थीगण :– श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
अधिवक्ता विप्रार्थी 1 व 3 :– श्री देवीलाल कुमावत।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी, शिव, जिला-बाड़मेर)

–:: आदेश ::–

दिनांक : 03.01.2025

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत मौजा पुषड, तहसील शिव के खसरा नम्बर 346, 593/346, 349, 594/346, 595/349, 597/349 तथा मौजा सीताराम की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 347, 348, 471/377, 377, 376, 465/375, 468/375 आये हुए है। राज्य सरकार द्वारा जनहित में एक परिपत्र संख्या प.3(2) राज./6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 [illegible] स्थाई रास्ते जो सार्वजनिक एवं बारहमासी हो एवं परंपरागत व कदीमी [illegible] से चालू है [illegible] राजस्व रेकर्ड में अंकन नहीं हो सका हो, ऐसे रास्तों के अंकन राज[illegible] भू-राजस्व अधि[illegible] की धारा 131 व 132 के नियमों के तहत किये जाने हेतु जारी किया गया। उक्त परिपत्र के अनुसरण मौजा पुषड, तहसील शिव के खसरा नम्बर 346, 593/346, 349, 594/346, 595/349, [illegible]97/349 तथा मौजा सीता[illegible] ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 347, 348, 471/377, 377, 376, 465/375, 468/375 में से रास्ता प्रस्तावित कर दिया गया, जबकि वहां से कोई चलायमान रास्ता नहीं है तथा न ही कोई

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2025.01.30 16:36:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

कदीमी रास्ता रहा है। जहां रास्ते का अंकन है, वहां मौके पर खेतों की बड़ी बड़ी माठे वर्षो से कायम है तथा रास्ता निकलना असंभव है। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर में से कोई चलायमान रास्ता उपलब्ध नहीं है, जबकि हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तहसीलदार के मार्फत माननीय न्यायालय में बाद जांच आदेशार्थ प्रस्तुत किये, जिसका आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश पारित किये जाने से पूर्व प्रार्थीगण को कोई सूचना नहीं दी गई, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल है। केवल मात्र व्यक्ति विशेष को लाभान्वित करने हेतु उक्त रास्ता प्रस्तावित किया गया है, जो सरासर गलत होने पर पुनर्विलोकन हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के मौजा पुषड, तहसील शिव के खसरा नम्बर 346, 593/346, 349, 594/346, 595/349, 597/349 तथा मौजा सीताराम की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 347, 348, 471/377, 377, 376, 465/375, 468/375 में राजस्व रेकर्ड में दर्ज त्रूटिपूर्ण एवं गलत आदेश को निरस्त करवाने हेतु यह पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर उपस्थित खातेदारान् से पूछताछ करने पर बताया गया कि उक्त रास्ता कदीमी बताकर राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज किया गया है। इस रास्ता कटाण हेतु हम खातेदारान् से किसी प्रकार की राय नहीं ली गई तथा एक तरफा आदेश से रास्ता रेकर्ड में दर्ज कर दिया गया है। उक्त रास्ते हेतु ग्राम पंचायत से कोई प्रस्ताव या सहमति ली गई हो इस बाबत् खातेदारान् को जानकारी नहीं है। वर्तमान में जहां राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्शाया गया है, वहां मौके पर किसी प्रकार का रास्ता नहीं है। ग्राम पुषड से बाहर के खेतों में आवागमन हेतु अन्य रास्ता है, जो हर मौसम में खुला रहता है। मौके पर उपस्थित समस्त खातेदारान् द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज उक्त रास्ते का निरस्त किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई। विप्रार्थी संख्या 1 व 3 द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर उक्त कदीमी रास्ता कटाण के आदेश को यथावत रखने की मांग की गई। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामली अनुपस्थित रहे है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी मौजा पुषड, तहसील शिव के खसरा नम्बर 346, 593/346, 349, 594/346, 595/349, 597/349 तथा मौजा सीताराम की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 347, 348, 471/377, 377, 376, 465/375, 468/375 में राजस्व रेकर्ड में दर्ज रास्ते को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 1 व 3 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में उक्त रास्ता पक्षकारान् की आपसी सहमति से कदीमी व चलायमान होने पर ही कटाण करवाया गया है, जिसमें वर्तमान मे पक्षकारान् के मध्य विवाद होने पर केवल विप्रार्थीगण को नाहक परेशान करने की नियत से उक्त पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिसे खारिज करने का निवेदन किया गया। साथ ही उक्त रास्ता कटाण आदेश उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित किया हुआ होने से उक्त आदेश की अपील सक्षम न्यायालय में की जाने का कथन करते हुए उक्त पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी मौजा पुषड, तहसील शिव के खसरा नम्बर 346, 593/346, 349, 594/346, 595/349, 597/349 तथा मौजा सीताराम की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 347, 348, 471/377, 377, 376, 465/375, 468/375 में राजस्व रेकर्ड में दर्ज रास्ते को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित खातेदारान् से पूछताछ करने पर बताया गया कि उक्त रास्ता कदीमी बताकर राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज किया गया है। इस रास्ता कटाण हेतु हम खातेदारान् से किसी प्रकार की राय नहीं ली गई तथा एक तरफा आदेश से रास्ता रेकर्ड में दर्ज कर दिया गया है। उक्त रास्ते हेतु ग्राम पंचायत से कोई प्रस्ताव या सहमति ली गई हो इस बाबत् खातेदारान् को जानकारी नहीं है। वर्तमान में जहां राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्शाया गया है, वहां मौके पर किसी प्रकार का रास्ता नहीं है। ग्राम पुषड से बाहर के खेतों में आवागमन

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2025.01.30 16:36:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

अन्य रास्ता है, जो हर मौसम में खुला रहता है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा उक्त रास्ता कटाण का आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है, जबकि विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा उक्त रास्ता कदीमी व चलायमान होने का कथन किया जाकर पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। चूंकि तहसीलदार मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मौके पर राजस्व रेकर्ड अनुसार किसी प्रकार का कोई चलायमान रास्ता नहीं है तथा खातेदारान् द्वारा बताया गया कि उक्त आदेश उनकी राय के बिना व एकतरफा पारित किया गया है, जिससे निरस्त किया जावें। अतः तहसीलदार रिपोर्ट से स्पष्ट है मौके पर कोई चलायमान रास्ता नहीं है जबकि विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा चलायमान रास्ता होने का कथन किया गया है जो निराधार प्रतीत होता है। साथ ही संबंधित न्यायालय में पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जा सकती है। अतः उक्त स्थिति में पक्षकारान् के प्राकृतिक न्याय को मध्यनजर रखते हुए तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा पुषड, तहसील शिव के खसरा नम्बर 346, 593/346, 349, 594/346, 595/349, 597/349 तथा मौजा सीताराम की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 347, 348, 471/377, 377, 376, 465/375, 468/375 में पारित आदेश संख्या राजस्व/2017/78 दिनांक 01.01.2017 की पालना में राजस्व रेकर्ड में दर्ज रास्ते को निरस्त किया जाकर पूर्व स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 03.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2025.01.30 16:56:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner